

समाहरणालय, मधेपुरा  
(जिला गोपनीय शास्त्रा)  
पत्रांक 2860/गो०

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शास्त्रा, मधेपुरा /जिला पंचायत याज पदाधिकारी, मधेपुरा  
श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा  
जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यो ० अभिर्वात, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा  
कार्यो ० अभिर्वात, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा  
कार्यो ० अभिर्वात, इडा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज  
कार्यो ० अभिर्वात, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राधोपुर /कार्यो ० अभिर्वात, ग्रामीण कार्य  
प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यो ० अभिर्वात, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा  
प्रभारी पदाधिकारी, विधि शास्त्रा, मधेपुरा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा  
जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा  
कार्यो ० अभिर्वात, पी० एच० ई० डी०, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा / कार्यो ० अभिर्वात,  
जल निस्सरण प्रमण्डल, कोपरिया / कार्यो ० अभिर्वात, काढा /उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा  
डी० पी० एम०, कोशी पुनर्वास, मधेपुरा /अभिहित अधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा  
औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, मधेपुरा  
डी० पी० एम०, कौशल विकास केन्द्र, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (सिंहेश्वर/  
शंकरपुर/ गम्हरिया/ग्वालपाड़ा को छोड़कर)/सभी अंचलाधिकारी (सिंहेश्वर, घैलाढ, ग्वालपाड़ा एवं  
पुरैनी को छोड़कर)

मधेपुरा, दिनांक 24/11/16

विषय : दिनांक 22-11-2016 को आयोजित सोमवारीय बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं  
कराने के निमित्त स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 22-11-2016 को अधोहस्ताक्षरी की  
अध्यक्षता में सोमवारीय बैठक आयोजित थी, जिसमें आपके विभाग/ कार्यालय से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की  
समीक्षा की जाती है।

विदित हो कि उक्त सोमवारीय बैठक से संबंधित विहित प्रपत्र पूर्व में आप लोगों को उपलब्ध  
कराया गया है, जिसमें वांछित प्रतिवेदन तैयार कर प्रत्येक शनिवार की संध्या तक जिला गोपनीय शास्त्रा,  
मधेपुरा में ई-मेल / फैक्स /वाट्टेसप /विशेषदूत के माध्यम से भेजने का निदेश पूर्व में दिया गया था,  
परन्तु आप लोगों के द्वारा सरामय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अंदर अपना-अपना स्पष्टीकरण  
समर्पित करें कि किस परिस्थिति में आप लोगों के द्वारा सोमवारीय बैठक से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी  
को सरामय उपलब्ध नहीं कराया गया।

विश्वीसभाजन  
जिलाधिकारी २४/११/१६  
मधेपुरा।